शिक्षा विभाग

दिनांक 3 मार्च, 1993

क्रमांक संख्या 52/24/90-शि-I (4).—हरियाणा राज भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित प्रयोजन विनिर्दिष्ट करते हैं जिन के लिए 26 जनवरी, 1969 से ठीक पहले प्रयोग में लाई जा रही भाषा ही इस सम्बन्ध में अगामी अनुदेशों तक प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा होगी :—

1. संविदाओं तथा करारों का निष्पादन ।

ए० बैनर्जी,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरुस्कार

दिनांक 22 फरवरी, 1993

क्रमांक 225-ज-2-93/3266.—श्री दया राम पुत्र श्री भूरू राम, निवासी गांव नांगल हरनाथ, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2485-ज-1-75/30380, दिनांक 8 अक्तूबर, 1975 द्वारा 150/- रुपए और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150/- रुपए से बढ़ाकर 300/- रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री दया राम की दिनांक 30 अगस्त, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री दया राम की विधवा श्रीमती लाडो के नाम रबी, 1993 से 300/- रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

आर० एल० चावला,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

## LATE NOTIFICATION